# Public Notice

In compliance to the Section 62, 86 of the Electricity Act, 2003 and applicable Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (CSERC) (Terms and Conditions for Determination of tariff according to Multi-Year Tariff principles and Methodology and Procedure for determination of Expected revenue from Tariff and Charges) Regulations, 2021, M/s. DB Power Limited has filed a petition before the CSERC for truing of Energy Charge Rate (Variable Cost) including approval of reimbursement of other expenses for FY 2023-24 and determination of Energy Charge Rate including approval for reimbursement of other expenses for FY 2025-26 of its 1200 MW (2×600) coal based thermal power plant located at Village Badadarha Post–Kanwali, Tehsil-Dabhara Dist.-Sakti (CG), supplying five percent (5%) of net generated power at variable cost to Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited . This petition is registered as petition no. 84 of 2024.

DB Power Limited has requested the Commission for truing up of the Energy (Variable) charge rate of Rs. 2.982/kWh and reimbursable expenses of Rs. 0.161/kWh for FY 2023-24 alongwith collecting Fuel Cost Adjustment (FCA) charges and provisional approval of Energy (Variable) Charge rate of Rs. 2.982/kWh and provisional reimbursable expenses on Rs. 0.161/kWh for FY 2025-26.

Persons intending to file Objections / suggestions, on the above petition may submit the same to Secretary, Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission, Office Vidyut Niyamak Bhavan Irrigation Colony, New Shanti Nagar, Raipur (C.G.) 492001 E-mail id:- cserc.sec.cg@nic.in and /or copy to petitioner's office at DB Power Ltd. Village-Badadarha Post–Kanwali, Tehsil-Dabhara, Dist.-Sakti (CG) within 21 days of the publication of this notice.

Copy of this notice and the petition are available on the Commission's website www.cserc.gov.in . Hardcopy of the aforesaid petition is also available in office of the Commission and same can be purchased by paying an amount of Rs. 500/- from 11 AM to 4 PM on any working day. The copy of the petition may also be obtained by post by paying an additional amount of Rs. 100/- as postal expenses. The Commission shall also conduct public hearing on the above petition for which place, date and time shall be notified separately through newspaper.

**M/s. DB Power Ltd.**
Village–Badadarha, Post-Kanwali
Tehsil –Dabhara, Dist–Sakti (C.G)

## आमसूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62, 86 और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सीएसईआरसी) (बहुवर्षीय शुल्क सिद्धांतों के अनुसार शुल्क निर्धारण की शर्तें और प्रक्रिया तथा शुल्क और दरों से प्रत्याशित राजस्व निर्धारण के लिए पद्धति और प्रक्रिया) विनियम, 2021 के तहत मेसर्स डीबी पावर लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सीएसईआरसी) के समक्ष अपने 1200 MW (2×600) कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र, ग्राम बाड़ादरहा, पोस्ट–कंवाली, तहसील–दभरा, जिला–सक्ती (छ.ग.), जो कि नेट जनरेटेड पॉवर का 5 प्रतिशत पॉवर सी.एस.पी.डी.सी.एल. को आपूर्ति कर रहा है, से संबंधित है, के लिए वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए ऊर्जा शुल्क दर (वेरिएबल कॉस्ट) के समायोजन सहित अन्य व्ययों की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ऊर्जा शुल्क दर के निर्धारण और अन्य व्ययों की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के लिए याचिका दायर की है। यह याचिका संख्या 84/2024 के रूप में पंजीकृत है।

डी.बी. पॉवर लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग से वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए ऊर्जा (वेरिएबल) शुल्क दर रु. 2.982/यूनिट और प्रतिपूर्ति योग्य व्यय रु. 0.161/यूनिट के समायोजन (ट्रू–अप) के साथ–साथ ईंधन लागत समायोजन (एफसीए) शुल्क वसूलने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ऊर्जा (वेरिएबल) शुल्क दर रु. 2.982/यूनिट और रु. 0.161/यूनिट के प्रतिपूर्ति योग्य व्ययों की अस्थायी स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

जो कोई उपरोक्त याचिका पर आपत्तियाँ/सुझाव दाखिल करना चाहते हैं, वे इसे सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, कार्यालय विद्युत नियामक भवन, सिंचाई कॉलोनी, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ. ग.) 492001, ई–मेल – cserc.sec.cg@nic.in पर और/या याचिकाकर्ता के कार्यालय डी.बी. पॉवर लिमिटेड, ग्राम–बाड़ादरहा, पोस्ट–कंवाली, तहसील–डभरा, जिला–सक्ती (छ.ग.) को इस नोटिस के प्रकाशन के 21 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस सूचना और याचिका की प्रति आयोग की वेबसाइट www.cserc.gov.in पर उपलब्ध है। उपरोक्त याचिका की हार्डकॉपी आयोग के कार्यालय में भी उपलब्ध है, जिसे किसी भी कार्यदिवस पर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक रु. 500/– का भुगतान करके प्राप्त किया जा सकता है। याचिका की प्रति डाक द्वारा प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त रु. 100/– डाक खर्च के रूप में भुगतान करना होगा। उक्त याचिका पर निर्धारित की गई तिथि, समय एवं स्थान पर जन–सुनवाई भी की जावेगी, जिसकी सूचना आयोग द्वारा समाचार पत्रों में पृथक से प्रकाशित की जायेगी।

**मेसर्स डी.बी. पावर लिमिटेड**
**ग्राम– बाड़ादरहा,पोस्ट– कँवली**
**तहसील डभरा जिला सक्ती (छ.ग)**